



Yojna IAS

G-32 NOIDA SECTOR-02
UTTAR PRADESH (201301)
CONTACT NO. +8595907569

CURRENT AFFAIRS



Date – 12 August 2022

क्या आपराधिक मामलों में सांसदों का विशेषाधिकार लागू नहीं होता?

संदर्भ क्या है ?

- पिछले कुछ दिनों से सांसदों में अपने विशेषाधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति थी और यह भ्रांति थी कि जांच एजेंसी संसद सत्र के दौरान सांसदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है।
- राज्यसभा के तत्कालीन सभापति एम. वैकैया नायडू ने कहा कि आपराधिक मामलों में सांसदों को विशेषाधिकार नहीं होते हैं। संसद सत्र के दौरान ऐसे मामलों में सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट नहीं है, इसलिए वे जांच एजेंसियों द्वारा जारी किए गए सम्मन से बच नहीं सकते हैं। विशेषाधिकार आपराधिक मामलों में किसी सांसद को संरक्षण नहीं देते हैं इसलिए आपराधिक मामलों की कार्रवाई में सांसद भी सामान्य नागरिक की तरह होते हैं और उन्हें संसद सत्र या समिति की बैठक के दौरान गिरफ्तार करने पर कोई रोक नहीं है।
- कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 'सत्र के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें तलब करने' के संबंध में सदन में मुद्दा उठाए जाने के बाद सभापति ने यह टिप्पणी की।

संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं ?

- संसदीय विशेषाधिकार मूल रूप से ऐसे विशेषाधिकार हैं जो संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से और साथ ही सांसदों को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध होते हैं। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में किया गया है। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 194 राज्य विधायिका से जुड़े विशेषाधिकारों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 105(1) में कहा गया है कि 'संविधान के प्रावधानों, प्रक्रिया के नियमों और संसद के स्थायी आदेशों के अधीन, संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।' आगे इसी अनुच्छेद के खंड (2) में, 'संसद या संसदीय समिति में संसद सदस्य द्वारा कहे गए किसी भी मत या राय के संबंध में उसके खिलाफ न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- सामूहिक विशेषाधिकार के तहत सदन की रिपोर्ट के प्रकाशन, वाद-विवाद की कार्यवाही आदि के प्रकाशन पर सीमाएं हैं। इसके अलावा, सदन की अवमानना पर दंडित करने की शक्ति, बाहरी लोगों सहित सदस्यों को

कार्यवाही से निष्कासित करना, विशेष मामलों पर गुप्त बैठकें रखना, न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जाँच करने पर प्रतिबन्ध आदि ।

- व्यक्तिगत विशेषाधिकारों में से एक यह है कि संसद सत्र या समिति की बैठक शुरू होने के 40 दिन पहले और उसके 40 दिनों बाद तक संसद सदस्य को किसी भी 'सिविल केस' में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार पहले से ही 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908' की धारा 135ए में शामिल है।

महत्वपूर्ण निर्णय :

- 1966 में, डॉ. जाकिर हुसैन ने कहा कि "संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें"।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने के आनंदन नांबियार और अन्य' मामले में माना कि वास्तविक संवैधानिक स्थिति यह है कि जहां तक 'हिरासत' या 'निरोध' के वैध आदेश का संबंध है, एक संसद सदस्य किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता । एक सामान्य नागरिक की तुलना में, और इस प्रकार वह एक आम नागरिक की तरह सत्र के दौरान गिरफ्तार, हिरासत में या पूछताछ के लिए उत्तरदायी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 'केरल राज्य बनाम के. अजित और अन्य मामले में कहा कि "विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने के लिए प्रवेश द्वार नहीं हैं, विशेष रूप से आपराधिक कानून, जो प्रत्येक नागरिक द्वारा किए गए कार्यों को नियंत्रित करता है।"

मुकुंद माधव शर्मा

इसरो के पहले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन की विफलता



- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने नए उपग्रह लांचर 'स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएसवी)' की पहली उड़ान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दो उपग्रहों – पृथ्वी को लेकर शुरू की। अवलोकन उपग्रह EOS-02 और आज़ादीसैट को लेकर अंतरिक्ष में चला गया।
- हालांकि, प्रक्षेपण यान के साथ भेजे गए ये उपग्रह अपने अंतिम चरण में त्रुटि के कारण वांछित कक्षा में स्थापित होने में विफल रहे।

मिशन का उद्देश्य क्या था?

- इस मिशन का उद्देश्य भूमध्य रेखा से लगभग 350 किमी की दूरी पर एसएसएलवी के पहले प्रक्षेपण के साथ दो उपग्रहों को प्रक्षेपित करना था। इसे ऊंचाई पर गोलाकार लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में रखा जाना था।

ईओएस-2:

- यह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

आज़ादीसेट:

- इसे 'स्पेस किड्स इंडिया' की छात्र टीम द्वारा आयनकारी विकिरण को मापने के लिए डिजाइन किया गया था जिसमें 75 छोटे पेलोड शामिल थे।
- इसे स्कूल स्तर पर छात्रों के बीच विज्ञान-प्रौद्योगिकी-इंजीनियरिंग-गणित (एसटीईएम) को लोकप्रिय बनाने के इसरो के प्रयास के हिस्से के रूप में तैयार किया गया था जहां यह ब्रह्मांड की खोज को प्रेरित करता है।

उपग्रह प्रक्षेपण विफलता

- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) एक तीन चरण वाला प्रक्षेपण यान है जिसे तीन ठोस प्रणोदन चरणों और एक तरल प्रणोदन-आधारित वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल (वीटीएम) के साथ एक टर्मिनल चरण के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है।
- प्रक्षेपण के शुरूआती तीन चरण सफल रहे लेकिन वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल (वीटीएम) के टर्मिनल चरण में समस्या आई।
- लॉन्च प्रोफाइल के अनुसार, वीटीएम को 20 सेकंड के लिए जलाया जाना चाहिए था।
- लेकिन यह केवल 1 सेकंड के लिए जल गया और रॉकेट को आवश्यक ऊंचाई तक उठाने में विफल रहा।
- इसरो के अनुसार, उपग्रहों को एक वृत्ताकार कक्षा के बजाय एक अण्डाकार कक्षा में रखा गया था और सेंसर की विफलता के कारण संपर्क टूट गया था।

वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के बीच अंतर

कक्षा:

- कक्षा एक नियमित, दोहराव वाला पथ है जिस पर अंतरिक्ष में एक वस्तु दूसरे शरीर के चारों ओर यात्रा करती है।

दीर्घ वृत्ताकार:

- जब कोई पिंड किसी अन्य पिंड के चारों ओर अण्डाकार या अण्डाकार पथ में घूमता है।
- हमारे सौर मंडल के अधिकांश ग्रह अन्य ग्रहों और तारों के गुरुत्वाकर्षण परस्पर क्रिया के कारण वृत्ताकार कक्षाओं के बजाय अण्डाकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं।

परिपत्र:

- एक वृत्ताकार कक्षा, बेरीसेंटर के चारों ओर एक निश्चित दूरी की एक कक्षा होती है जो वृत्ताकार होती है।
- पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रहों को आमतौर पर वृत्ताकार कक्षाओं में रखा जाता है।
- वृत्ताकार पथ कृत्रिम उपग्रहों के लिए अनुकूल है क्योंकि यदि उपग्रह एक निश्चित दूरी पर हो तो पृथ्वी की छवि लेना आसान होता है।
- यदि दूरी बदलती है (अण्डाकार कक्षाओं में) तो कैमरे को केंद्रित रखना जटिल हो सकता है।

एसएसएलवी और पीएसएलवी के बीच अंतर

लागत प्रभावी और पेलोड क्षमता:

- एसएसएलवी को 500-किलोग्राम पेलोड को 500-किमी ग्रह की कक्षा में लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह पीएसएलवी से कम खर्चीला है।

- चूंकि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) भारी भार वहन कर सकता है, इसलिए छोटी परियोजनाओं में इसका उच्च लागत-लाभ अनुपात नहीं होता है।

ठोस प्रणोदक:

- एसएसएलवी ठोस प्रणोदक का उपयोग करता है और पीएसएलवी के तरल प्रणोदक चरणों की तुलना में अधिक किफायती और प्रबंधन में आसान है।

फास्ट 'लॉन्च ऑन डिमांड' सेवा:

- पीएसएलवी की लंबी टर्नअराउंड अवधि (60 दिनों से अधिक) 'लॉन्च ऑन डिमांड' लॉन्च को जटिल बनाती है।
- एसएसएलवी में अनेक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की सुविधा है। इसकी कम टर्नअराउंड अवधि (72 घंटे) है और इसे एक पखवाड़े के भीतर इकट्ठा किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष एजेंसी को तेजी से उभरते निम्न-पृथ्वी कक्षा प्रक्षेपण क्षेत्र में 'लॉन्च ऑन डिमांड' सेवा प्रदान करने का अवसर मिलता है।

इसरो की आगामी परियोजनाएं

- **गगनयान** – भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम।
- **आदित्य-एल1:** सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना।
- **नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन:** विभिन्न खतरों और वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए।
- **शुक्रयान-1:** शुक्र ग्रह की परिक्रमा।

भविष्य की संभावनाएं

'डोरवे कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट':

- एसएसएलवी विश्वव्यापी वाणिज्यिक लघु उपग्रह प्रक्षेपण बाजार के लिए भारत का आधिकारिक प्रवेश द्वार है।
- माना जाता है कि रॉकेट का संचालन भारत के वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन निकाय, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा किया जाता है।
- वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन और संचार के लिए आकर्षक।

एसएसएलवी को पोल से पोल तक लॉन्च करना:

- इसरो भविष्य में तमिलनाडु में कुलसेकरपट्टिनम (भारत का नया अंतरिक्ष यान निर्माणाधीन) से एसएसएलवी लॉन्च करने का इरादा रखता है।
- यह एसएसएलवी को पृथ्वी के चारों ओर पोल-टू-पोल या ध्रुवीय कक्षा में प्रवेश करने में सक्षम बनाएगा।
- यह एसएसएलवी को श्रीलंका का चक्कर लगाए बिना लक्षद्वीप सागर के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति देगा, जिससे ईंधन और पेलोड क्षमता की बचत होगी।

नैनो-उपग्रह प्रक्षेपण यान की ओर कदम:

- प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ उपग्रहों के आकार में उल्लेखनीय कमी आई है जहां क्यूबसैट और नैनो-उपग्रह आम होते जा रहे हैं।
- इस परिदृश्य में, इसरो के पास लागत प्रभावी नैनो-उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास का नेतृत्व करने का अवसर है।

स्वदीप कुमार

भारत ने की टाइगर रेंज देशों की पूर्व- शिखर बैठक की मेज़बानी



- हाल ही में भारत ने टाइगर रेंज कंट्रीज (TRCs) के प्री-शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है।
- टाइगर रेंज कंट्रीज समिट 5 सितंबर, 2022 को व्लादिवोस्तोक, रूस में आयोजित होने वाली है।
- बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जनवरी 2022 में आयोजित किया गया था।
- भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भी बाघों की बहाली के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है जिसका उपयोग अन्य बाघ रेंज वाले देशों द्वारा किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- चीन और इंडोनेशिया को छोड़कर टाइगर/टाइगर रेंज के बारह देशों ने बैठक में भाग लिया।
- 13 टाइगर रेंज देश (TRCs) हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओ PDR (पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक), मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया।
- भारत टाइगर रिजर्व नेटवर्क के तहत देश में बाघों के सभी संभावित आवासों को लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- बैठक का उद्देश्य शिखर सम्मेलन में अपनाए जाने वाले बाघ संरक्षण पर घोषणा को अंतिम रूप देना है।

बाघ संरक्षण का महत्व:

पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने में महत्वपूर्ण:

- बाघ एक अनूठा जानवर है जो स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वनों को स्वच्छ हवा, पानी, परागण, तापमान विनियमन आदि जैसी पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है।

आहार श्रृंखला बनाए रखना:

- यह एक शीर्ष शिकारी है जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है और जंगली (मुख्य रूप से बड़े स्तनपायी) आबादी को नियंत्रित करता है।
- इसलिए, बाघ शाकाहारियों और वनस्पतियों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिस पर वे शाकाहारी जीवों का शिकार करके भोजन करते हैं।

बाघ के संरक्षण की स्थिति:

- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021: अनुसूची 1
- प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) की लाल सूची: विलुप्त होने के कगार पर।
- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट 1

बाघ संरक्षण में भारतीय परिदृश्य:

- भारत में 18 राज्यों में लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले 52 बाघ अभयारण्य हैं।
- विश्व स्तर पर, भारत में लगभग 75% जंगली बाघ हैं।
- भारत ने वर्ष 2022 के लक्ष्य से चार साल पहले वर्ष 2018 में ही बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल कर लिया था।
- देश में 17 बाघ अभयारण्यों के संरक्षण का आश्वासन दिया। टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS) को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है और दो टाइगर रिजर्व (सत्यमंगलम और पीलीभीत) को अंतर्राष्ट्रीय Tx2 पुरस्कार मिला है।
- भारत के कई बाघ रेंज वाले देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन हैं और जंगली बाघों को वापस लाने की दिशा में तकनीकी सहायता के लिए कंबोडिया के साथ मिलकर काम कर रहा है।

स्वदीप कुमार

पानीपत में 2जी एथेनॉल प्लांट

विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पानीपत रिफाइनरी में स्थापित दूसरी पीढ़ी (2 जी) इथेनॉल संयंत्र को समर्पित किया। पानीपत में यह इथेनॉल संयंत्र न केवल दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा, बल्कि अतिरिक्त आय और हरित ईंधन उत्पन्न करने में भी मदद करेगा।

- 34 एकड़ में फैली, ₹900 करोड़ की परियोजना एक अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यह सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न करने के लिए सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे (पराली) का उपयोग करके भारत के कचरे से धन के प्रयासों में एक नया अध्याय जोड़ेगा।
- “जैव ईंधन समय की आवश्यकता है क्योंकि यह अन्य देशों पर ईंधन और ऊर्जा के लिए हमारी निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। यह न केवल देश से धन के प्रवाह की जांच करेगा बल्कि हमारे किसानों के लिए अतिरिक्त आय भी उत्पन्न करेगा।
- भारत ने पहले ही पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे देश का इथेनॉल उत्पादन बढ़कर 400 करोड़ लीटर हो गया है।
- “यह संयंत्र इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए धान के भूसे के अलावा मक्का और गन्ने के कचरे का भी उपयोग करेगा। यहां तक कि जिन किसानों की फसल के कचरे को जलाने के लिए आलोचना की जा रही थी, वे भी देश को जैव ईंधन की जरूरत को पूरा करने में मदद करके गर्व महसूस करेंगे।”

विश्व जैव ईंधन दिवस

विश्व जैव ईंधन दिवस, 10 अगस्त, 2022



- यह प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है।
- यह **पारंपरिक जीवाश्म ईंधन** के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधन के महत्त्व के बारे में **जागरूकता बढ़ाने** के लिये मनाया जाता है।
- यह दिन **डीजल इंजन** के आविष्कारक **सर रुडोल्फ डीजल** के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने सबसे पहले **जीवाश्म ईंधन की जगह वनस्पति तेल की संभावना** की भविष्यवाणी की थी।

इथेनॉल:

- प्रकृतिक रूप से खमीर अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रमुख **जैव ईंधनों** में से एक है।
- यह घरेलू रूप से उत्पादित वैकल्पिक ईंधन है जो आमतौर पर मकई से बनाया जाता है। यह सेल्यूलोसिक फीडस्टॉक्स जैसे कि फसल अवशेष और लकड़ी से भी बनाया जाता है।



ईंधन के रूप में इथेनॉल:

- आंतरिक दहन इंजनों के लिये ईंधन के रूप में इथेनॉल का उपयोग या तो अकेले या अन्य ईंधन के साथ संयोजन में किया जाता है, जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा इसके संभावित पर्यावरणीय और दीर्घकालिक आर्थिक लाभों के कारण इस पर अधिक ध्यान दिया गया है।
- **इथेनॉल को शुद्ध इथेनॉल (E100) तक किसी भी सांद्रता में पेट्रोल के साथ जोड़ा जा सकता है**
- पेट्रोलियम ईंधन की खपत को कम करने के साथ-साथ वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निर्जल इथेनॉल (जल के बिना इथेनॉल) को अलग-अलग मात्रा में पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

भारत की जैव ईंधन सम्बंधित अन्य पहलें:

- **इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP):**



- **उद्देश्य:-**
 - कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना,
 - कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना,
 - किसानों की आय को बढ़ाना।
- **सम्मिश्रण लक्ष्य:** भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (जिसे E20 भी कहा जाता है) के लक्ष्य को वर्ष 2030 से परिवर्तित कर वर्ष 2025 तक कर दिया है।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018:

- यह वर्ष 2030 तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य प्रदान करता है।

- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जो मानव उपभोग केलिये अनुपयुक्त हैं जैसे- गेहूं, टूटे चावल आदि से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमित देती है।
- यह नीति राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समितिके अनुमोदन के आधार पर खाद्यान्न की अधिशेष मात्रा को इथेनॉल में परिवर्तित करने की भी अनुमित देती है।
- यह नीति इथेनॉल उत्पादन में प्रयोग होने वाले तथा मानव उपभोग केलिये अनुपयुक्त पदार्थ जैसे- गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री- चुकंदर, मीठा चारा, स्टार्च युक्त सामग्री तथा मकई, कसावा, गेहूं, टूटे चावल, सड़े हुए आलू के उपयोग की अनुमित देकर इथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार करती है।

ई-100 पायलट प्रोजेक्ट:

- इथेनॉल (Ethanol) क्षेत्र के विकास के लिए पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट (E100 pilot project) शुरू किया है।
- TVS Apache दोपहिया वाहनों को E80 या शुद्ध इथेनॉल (E100) पर चलने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- जाइलानेज एंजाइम अमेरिका ने इजाद किए गए एंजाइम पी- 450 के साथ मिलकर बेहतर एथेनॉल तैयार करेगा।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना, 2019:

- 'जी-वन योजना' का मतलब होता है – **जैव ईंधन – वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना** है। सरकार द्वारा इसके अनुरूप एक ऐसी बायो-इथेनॉल प्रोजेक्ट को आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी है जो लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास और भी कई सारे नए नए फीडस्टॉक का इस्तेमाल करके बायोगैस बनाने का काम करेगी।
- इस योजना का उद्देश्य 2जी इथेनॉल क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

प्रयुक्त खाद्य तेल (RUCO) का पुनः उपयोग:

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने यह पहल शुरू की है जो इस्तेमाल किये खाद्य तेल को बायोडीजल के रूप में संगृहीत और रूपांतरित करने को सक्षम बनाएगा।
- इस पहल के तहत, तेल विपणन कंपनियां पांच साल के लिए समय-समय पर वृद्धिशील मूल्य की गारंटी देते हैं और संभावित उद्यमियों को दस साल के लिए ऑफ-टेक गारंटी देती हैं।
- इस शुरुआत के साथ जैव ऊर्जा का एक नया युग शुरू हुआ है, जो भारतीय पेट्रोलियम क्षेत्र में क्रांति लाएगा।

बायोडीजल: बायोडीजल एक वैकल्पिक ईंधन है, जो पारंपरिक या 'जीवाश्म' डीजल की तरह है। यह वनस्पति तेलों, पशु वसा, चरबी और अपशिष्ट खाद्य तेल से उत्पादित किया जाता है।

- बायोडीजल का एक विशिष्ट लाभ इसकी कार्बन तटस्थता है। उदाहरण के लिए तिलहन कार्बनडाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा को अवशोषित करता है, जितना ईंधन का दहन होने पर निकलता है।
- इसके अलावा बायोडीजल तेजी से जैवनिम्नीकरण होने वाला (rapidly biodegradable) और पूरी तरह गैर-विषैला है।

भविष्य की राह

- कचरे से उत्पादित इथेनॉल पर ध्यान केंद्रित कर भारत टिकाऊ जैव ईंधन नीति में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन सकता है। यह मज़बूत जलवायु और वायु गुणवत्ता दोनों लाभ पहुँचायेगा, क्योंकि वर्तमान में इन कचरे को अक्सर जलाया जाता है, जो वायु-प्रदूषण को बढ़ावा देता है।
- घटते भूजल संसाधनों, कृषि योग्य भूमि की कमी, अनिश्चित मानसून और जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार में गिरावट के साथ, ईंधन के लिये फसलों पर खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, उत्सर्जन में कमी, इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में तीव्र विकास, शून्य-उत्सर्जन रिचार्ज प्रणाली को बढ़ाने के लिये अतिरिक्त नवीकरणीय उत्पादन क्षमता की स्थापना आदि का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

रवि सिंह

